

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक _____

पटना, दिनांक _____

ग्रा0वि0-6-3507/05-03/2017

प्रेषक,

राधाकिशोर झा,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या 42 के तहत एन0आर0एल0पी0/ आजीविका योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में समेकित रूप से विमुक्त केन्द्रांश की राशि रू0 2507.34 लाख (पच्चीस करोड़ सात लाख चौतीस हजार) में से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना मद के लिए कर्णांकित राशि रू0 526.54 लाख (पाँच करोड़ छब्बीस लाख चौवन हजार) के विरुद्ध 60:40 के अनुपात में देय अनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 351.03 लाख (तीन करोड़ एकावन लाख तीन हजार) के विरुद्ध एन0आर0एल0एम योजना के लिए बजट उपबंधित राज्यांश की राशि में से उपलब्ध राशि से सहायक अनुदान मद में राशि रू0 351.03 लाख (तीन करोड़ एकावन लाख तीन हजार) का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग :-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-313994 दिनांक-16.06.2017

महाशय,

संदर्भित पत्रानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या- J-12014/01/2017/-RL(NRLP_18) दिनांक- 18.12.2017 के द्वारा एन0आर0एल0पी0/ आजीविका योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में समेकित रूप से विमुक्त केन्द्रांश की राशि रू0 2507.34 लाख (पच्चीस करोड़ सात लाख चौतीस हजार) में से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना मद के लिए कर्णांकित राशि रू0 526.54 लाख (पाँच करोड़ छब्बीस लाख चौवन हजार) के विरुद्ध 60:40 के अनुपात में देय अनुपातिक राज्यांश की राशि रू0 351.03 लाख (तीन करोड़ एकावन लाख तीन हजार) का आवंटित किया जाना है ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में एन0आर0एल0एम0 योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना मद में राज्यांश के रूप में राशि रू0 6162.80 लाख (एकसठ करोड़ बासठ लाख अस्सी हजार) बजट उपबंधित किया गया है । विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-313994 दिनांक-16.06.2017 द्वारा इस मद में राशि रू0 6162.80 लाख (एकसठ करोड़ बासठ लाख अस्सी हजार) स्वीकृत किया गया है । पुनः विभागीय पत्रांक 350690 दिनांक 29.01.2017 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से राशि रू0 293.00 लाख (दो करोड़ तिरानवे लाख) का

अतिरिक्त बजट का अंश देकर जारी किया गया है। इस प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2017-18 में राज्यांश के जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना संश्लेषित बजट उपबंधित राशि रु0 6455.80 लाख (चौंसठ करोड़ पचपन लाख अस्सी हजार) है।

भारत सरकार के उक्त पत्र के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-313994 दिनांक-16.06.2017 द्वारा विस्तृत राशि में से उपलब्ध राशि से केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में समेकित रूप से विमुक्त राशि की राशि रु0 2507.34 लाख (पच्चीस करोड़ सात लाख चौतीस हजार) में से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना के लिए कर्णांकित राशि रु0 526.54 लाख (पाँच करोड़ छब्बीस लाख चौवन हजार) के विरुद्ध 60:40 के अनुपात में देय अनुपातिक राज्यांश की राशि रु0 351.03 लाख (तीन करोड़ एकावन लाख तीन हजार) का अंश के रूप में सहायक अनुदान मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष- 2017-18 में आवंटित किया जाता है।

2. इस राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-313994 दिनांक-16.06.2017 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जाता है।
3. स्वीकृत राशि निम्नलिखित मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम उप शीर्ष- 796, जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष-0302 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड- 42- 2501067960302 विस्तृत शीर्ष- 31- सहायक अनुदान विषय शीर्ष 06 - गैर वेतन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय है।
4. ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक- 3873 दिनांक- 12.04.2006 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के प्रायोजित योजनाओं के संदर्भ में वित्त विभागीय परिपत्र सं0- 2561वि0(2) दिनांक- 17.04.19 के अंतर्गत केंद्रिका-2 में निहित प्रावधानों को प्रभावहीन किया गया है। वित्त विभाग के परिपत्र सं0- 5 दिनांक- 17.06.2015 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों के अंतर्गत राशि व्यय की जायेगी।
5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यययन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।
6. विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि की निकासी कर Bihar Rural Infrastructure Development Society, BRLPS-SRLM, Canara Bank, Account No.- 8531100000000000, IFSC Code- CNRB0008531, Vidhyut Bhawan, Bailey Road, Patna, Bihar को कर देना है।
7. मुख्य कार्य पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक, बी0आर0एल0पी0एस0, विद्युत भवन, पटना इस राशि की निकासी एवं व्यययन परियोजना पर व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, नई दिल्ली के विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को उपलब्ध करायेंगे।
8. इस राशि का अंश निदेशक (ले.हक.), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राधाकिशोर झा)

विशेष सचिव

जापांक _____ पटना, दिनांक _____

प्रति _____ (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

विशेष सचिव

जापांक _____ पटना, दिनांक _____

प्रति _____ को पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

विशेष सचिव

जापांक 360285 पटना, दिनांक 15.07.18

प्रति _____ अमिता बघेल, निदेशक (आर0एल0) ग्रामीण विकास मंत्रालय, छठवीं मंजिल सम्राट होटल, चाणक्यपुरी नए, पटना-80021/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन, पटना-800001/ विद्युत विभाग, पटना / आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु) प्रभार पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / लेखा शाखा (प्रशाखा-10) एवं प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इसकी एक प्रतिलिपि प्रशाखा-6 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी।

प्रतिवेदित प्राप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष सचिव
बिहार